भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

टेलीफोन: 91-22-25752040-43 & 45
फैक्स: 91-22-25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

"बीटा बिल्डिंग" 9 वी मंज़िल / "BETA BLDG." 9th FLOOR,
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / i-THINK TECHNO CAMPUS,
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST),
मुम्बई - 400042 / MUMBAI – 400 042.

Tele: 91-22-25752040-43 & 45
Fax: 91-22-25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 10/2016

फाईल सं. सीआर/16(4)/2009-खंड-IV

दिनांक.15.11.2016

विषय: - समुद्रीय श्रम कन्वेशन, 2006 का कार्यान्वयन-अनुसमर्थन और प्रवर्तन-संबंधी

यथासंशोधित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम,1958 (1958 का 44) की धारा 457 के साथ पठित धारा 218 (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने समुद्रीय श्रम कन्वेशन के प्रावधानों के संबंध मे वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रीय श्रम) नियम, 2016 अधि सूचित किए है जो कि पोत परिवहन मंत्रालय, भारंत सरकार की अधिसूचना दिनांक.29.02.2016 संख्या जीआरएफ़ 202(ई) के अनुसार दिनांक.29.02.2016 से प्रवृत्त है ।

2. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अपेक्षित संख्या में सदस्य राष्ट्रों द्वारा दिनांक.20.08.2012 को वैश्विक स्तर पर समुद्रीय श्रम कन्वेशन 2006 (एमएलसी-2006) इसके अनुसमर्थन हेतु दि. 20.08.2013 को औपचारिक रूप से प्रवृत्त हुआ । वैश्विक स्तर पर एमएलसी-2006 जब औपचारिक रूप से प्रवृत्त हुआ उस समय भारत उक्त कन्वेशन का अनुसमर्थन करने की प्रक्रिया में लगा था । इसका अनुसमर्थन किए जाने से पहले उस समय यह महसूस किया गया कि उपयुक्त प्रशासनिक प्रणालियों को विकसित किया जाना चाहिए और इन्हे सक्रिय किया जाना चाहिए ताकि समय रहते भारतीय ध्वज पोत एमएलसी प्रमाणन के अनुरूप हो साथ ही एमएलसी-2006 के प्रावधानों का अनुपालन हो । तदनुसार नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार ने वा. पो. प. सूचना संख्या 07/2013 (फाईल न. 16(5)/सीआर/2010) दि. 01.02.2013, वा. पो. प. सूचना संख्या 11/2013 (फाईल न. 16(5)/सीआर/2010 खंड-1) दि. 17.04.2013, वा. पो. प. सूचना संख्या 15/2013 (फाईल न. 16(5)/सीआर/ 2010 खंड-1) दि. 31.05.2013 और वा. पो. प. सूचना संख्या 27/2013 (फाईल न. 16(5)/सीआर/2010/खंड-1) दि. 13.11.2013 नामक वाणिज्य पोत परिवहन सूचनाओ की एक श्रृंखला जारी की जिन में एमएलसी-2006 की तर्ज पर भारतीय ध्वज पोतो के निरीक्षण और प्रमाणन की एक सिरे से दूसरे सिरे तक विस्तृत और

...2/-

व्यापक तथा संघटित प्रक्रिया बताई गई थी | उक्त प्रणालियों को सक्रिय किए जाने से भारतीय ध्वज के अंतर्गत आने वाले कई पोतो ने इस प्रयोजनार्थ अपना निरीक्षण स्वेच्छा पूर्वक करवाया और उन्हे भारतीय पोतो के पंजीकार (नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत निकाय) द्वारा "अनुपालन का विवरण" जारी किया गया |

3. भारत सरकार ने अब दि. 09.10.2015 को समुद्रीय श्रम कन्वेशन-2006 का अनुसमर्थन किया हैं और यह एमएलसी-2006 के अनुच्छेद VIII (4) के अनुसरण में दि. 09.10.2016 से भारत हेतु प्रवृत्त हुआ | इसके उपरांत 09.10.2016 से एमएलसी प्रमाणन हेतु अपेक्षा पर निम्नोक्त स्पष्टीकरण जारी किया गया |

4. इस बात पर विचार करते हुए कि सांविधिक निरीक्षण और प्रमाणन हेतु एमएलसी-2006 में बताई गई प्रक्रिया कई भारतीय ध्वज पोतो ने पहले ही पूरी कर ली है तो अब यह महसूस किया गया कि इस पोतो द्वारा किए इसी प्रक्रिया को दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं हैं | नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार भारतीय राष्ट्रीय समुद्रीय प्रशासन होने के नाते एतदद्वारा घोषणा करता हैं कि समुद्रीय श्रम कन्वेशन 2006 के संबंध में भारतीय ध्वज पोतो को पहले से जारी किए गए विद्यमान अनुपालन के विवरण एसओसी वापोप (समुद्रीय श्रम नियमावली) 2016 के नियम 24(7) और एमएलसी-2006 के विनियम 5.1.3 के अंतर्गत जारी किए गए, समुद्रीय श्रम प्रमाणपत्र समझे जाएंगे | तथापि ऐसे भारतीय ध्वज पोत 09.10.2016 से एक वर्ष के भीतर यानी 09.10.2017 से पहले या उनके अनुपालन के विवरणों संबंधी मान्यता की तिथि समाप्त होने से पहले में से जो पहले हो तब तक वा. पो. प. (समुद्रीय श्रम नियमावली) 2016 के नियम 24(7) और एमएलसी-2006 के विनियम 5.1.3 के अंतर्गत नए समुद्रीय श्रम प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेंगे | इन नए समुद्रीय श्रम प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने की प्रक्रिया वा. पो. प सूचना में बताई गई हैं जिसे इस कार्यालय द्वारा अलग से तत्काल जारी किया जा रहा हैं और इस संबंध में ससंदर्भ इसे देखा जा सकेगा |

5. इसे नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता हैं |

अमोल कीर्तने

(डॉ. अमोल बी. कीर्तने)
उप नौवहन महानिदेशक (क्यू)